राज्य निर्वाचन आयोग
बिहार
STATE ELECTION COMMISSION,
BIHAR

सत्यमेव जयते

संख्या–पं0नि0–30–194 / 2021 2570
प्रेषक,

योगेन्द्र राम,
सचिव,
राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना।

सेवा में,

जिला पदाधिकारी–सह–
जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पंचायत)
औरंगाबाद।

पटना दिनांक– 9.7.21

विषय :– नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार द्वारा अधिसूचित नवगठित / उत्क्रमित / क्षेत्र विस्तार हुए नगर निकायों के फलस्वरूप पंचायतों के पुनर्गठन एवं नामकरण के संबंध में।

प्रसंग:– नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार का ज्ञापांक–552, दिनांक–12.02.2021, ज्ञापांक–696, दिनांक–22.02.2021 एवं आपका पत्रांक–981 / प., दिनांक– 03.05.2021, पत्रांक–982 / प., दिनांक– 03.05.2021

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में कहना है कि नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार द्वारा नगर निकायों के नवगठन / उत्क्रमण / क्षेत्र विस्तार की अधिसूचना के फलस्वरूप इस कार्यालय के पत्रांक 2114, दिनांक 14.04.2021 से पंचायतों की स्थिति में हुए परिवर्तन संबंधी प्रतिवेदन के मॉंग की गई थी। तदालोक में आपके पत्रांक–981 / प., दिनांक– 03.05.2021, पत्रांक–982 / प., दिनांक– 03.05.2021 से प्रतिवेदन निम्नरूपेण उपलब्ध कराया गया है–

अनुसूची–1 (ग्राम पंचायत जो पूर्ण रूप से नगर निकाय में सम्मिलित हुए है) के अनुसार स्थानांतरित होने वाले पंचायत, वार्ड एवं मतदान केन्द्र की विवरणी:–

ग्राम पंचायत का नाम–	देव (प्रखंड देव)	बारूण (प्रखंड बारूण)
वार्ड संख्या–	1–15 तक	1–17 तक
मतदान केन्द्र संख्या–	157–171 तक	145–161 तक
सहायक मतदान केन्द्र संख्या–	171(क),	0
कुल मतदान केन्द्र–	16	17

उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव को आयोग द्वारा अनुमोदित किया जाता है।

ज्ञातव्य हो कि नगर निकाय के रूप में अधिसूचित क्षेत्रों में नियमानुसार पंचायत आम निर्वाचन नहीं कराया जाना है। अतएव अधिसूचित नगर निकायों में समाहित क्षेत्र से संबंधित मतदाता सूची एवं मतदान केन्द्र को हटाने / विलोपन की कार्रवाई वेबसाईट पर की जा रही है।

विश्वासभाजन
सचिव।

ज्ञापांक– 2570 पटना, दिनांक– 9.7.21
प्रतिलिपि– निदेशक, सॉफ्टवेयर एजुकेशन रिसर्च प्रा0लि0 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सचिव 9/7/21